न्यायालय सिविल जज जू०डिवी० बिसौली जनपद–बदायूँ।

मूलवाद सं० 253/2013

अमीर अहमद   बनाम ओमकार सिंह आदि

दि०–29–05–2017 (28–05–2017 का रविवार अवकाश)

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। प्रार्थनापत्र 5 ग ^{2} पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में ही सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 5 ग ^{2}

वादी द्वारा यह प्रार्थनापत्र आदेश–39 नियम 1 व 2 सी० पी० सी० के अन्तर्गत विवादित सम्पत्ति स्थित ग्राम धनूपुरा परगना व तहसील बिसौली जिला बदायूँ पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे में मन्दिर बनाकर अथवा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 5 ग ^{2} के विरूद्ध आपत्तिग दाखिल की गयी है, जिसमें प्रार्थनापत्र 5 ग ^{2} मिथ्या आधरों पर होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दायर किया गया है। वादी द्वारा कथन किया गया है कि विवादित सम्पत्ति भूरे खाँ पुत्र खैराती खाँ को पटटे में दि० 08–02–1995 को आवासीय निर्माण हेतु मिली थी। प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया है कि पटटे के सम्बन्ध में मामला राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त परिस्थिति में इस स्तर पर विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध किसी पक्ष विशेष का स्वामित्व एवं कब्जा होने के सम्बन्ध मे अभिमत व्यक्त नही किया जा सकता। साक्ष्य के उपरान्त ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, तब तक पक्षकारों के मध्य विवाद की बाहुल्यता रोकने तथा विवादित सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के उददेश्य से विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में दौरान विचारण उभय पक्ष को यथा–स्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित होगा। अतः उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि–

१– वह विवादित सम्पत्तिए जिसे नक्शा–नजरी वादपत्र में अक्षर ए बी सी डी से प्रद्रशित किया गया है, स्थित ग्राम धनूपुरा परगना व तहसील बिसौली जिला बदायूँ के सम्बन्ध में दौरान विचारण यथा–स्थिति बनाये रखेंगे।

२–उभय पक्ष विवादित सम्पत्ति को किसी भी रूप में स्वरूप परिवर्तित नही करेंगे न ही उक्त सम्पत्ति पर किसी प्रकार निर्माण करें एवं न ही अन्तरण करेंगे।

दतनुसार प्रार्थनापत्र ५ग निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दि०–28–07–2017 को वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र ४०क पेश हो।

(कु० शाम्भवी यादव)
सिविल जज जू०डिवी बिसौली
जनपद बदायूँ।